समाहरणालय, औरंगाबाद

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1681/खाद्य, दिनांक–31.03.2017 द्वारा रब्बी विपणन वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्य योजना एवं निर्देश प्राप्त है। रब्बी विपणन मौसम 2017–18 के तहत औरंगाबाद जिला के लिए पैक्स एवं व्यापार मंडल के लिए 25000 एम0टी0 गेहूँ को अधिप्राप्ति हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। साथ ही यह रब्बी विपणन मौसम 2017–18 के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने का निदेश दिया गया है, ताकि निर्धारित सम्भावित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अधिप्राप्ति वर्ष 2017–18 में गेहूँ का क्रय पंजीकृत किसानों से ही हो, एवं व्यापारियों/बिचौलियो को गेहूँ अधिप्राप्ति से पृथक रखा जाय, जिससे किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके। रब्बी विपणन मौसम 2017–18 में पूर्व वर्ष की भाँति गेहूँ की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ का उपयोग राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जिले के लाभुकों को वितरण किया जायेगा।

- **गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक–10.04.2017 से 31.07.2017 तक प्रभावी रहेगा।**
- रब्बी विपणन मौसम 2017–18 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूँ साधारण 1625/- रू0 प्रति क्वी0 निर्धारित किया गया है।
- विभाग द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति लक्ष्य :– 25000 MT

2. <u>अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें</u>:–

- रब्बी विपणन मौसम 2017–18 में राज्य अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अन्तर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु **बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी** नियुक्त किया गया है।
- जिले के पंजीकृत किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग अन्तर्गत कार्यरत पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किया जाना है।
- जिले के किसानों को गेहूँ की अधिप्राप्ति के परिपेक्ष्य में भुगतान आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर ही तत्काल (48 घंटों के अन्दर) भुगतान किया जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की ऑनलाईन संधारित सूची के आधार पर जिले के पंजीकृत किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति की जायेगी।
- जिला के किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटा बेस पर ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। नोडल एजेंसी द्वारा तैयार अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर किसानों का ऑनलाईन डाटा

बेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के समन्वय से किसानों का डाटा बेस तैयार किया जायेगा जिसका स्क्रीनिंग कराकर बेवसाईट पर अपलोड होगा। छूटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो उसका सत्यापन कराकर Authenticate करेंगे। सहकारिता विभाग इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन करेगी एवं राज्य खाद्य निगम आवश्यक तकनीकी सहयोग करेगी।

- जिला के किसानों से गेहूँ का क्रय प्रति किसान अधिकतम 150 (एक सौ पचास) क्वीं0 निर्धारित रहेगा, ताकि लघु/सीमांत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक को मिल पाये।
- वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑनलाईन पंजीकरण कराने के पश्चात् उनसे अधिकतम 50 क्वींटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाएगी।
- गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से सम्पन्न होगा एवं दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा एवं एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति ऑनलाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से गेहूँ क्रय एवं भुगतान का कार्य चरणबद्ध रूप में सम्पन्न करेगी।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक–10.04.2017 के पूर्व कर लेंगे।

3. <u>लक्ष्य का निर्धारण</u> :– इस वर्ष राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति की सम्भावना 5.00 (पॉच) लाख मे0टन व्यक्त की गयी है, जिसका शत–प्रतिशत अधिप्राप्ति पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किया जाना है।

रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित अधिप्राप्ति की मात्रा के अनुसार इस जिला को 25000 एम0टी0 लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। सम्भावित लक्ष्य को प्रखण्डवार, पंचायतवार निर्धारित किया जाना है, जिससे जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके। उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति भी की जा सकती है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला कृषि पदाधिकारी से समन्वय कर पैक्स/व्यापार मंडल को लक्ष्य का निर्धारण कर जिला टास्क फोर्स की बैठक में अनुमोदित कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. <u>क्रय केन्द्रों का निर्धारण</u> :– रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा किया जायेगा। मूल रूप से